21 © DECEMBER SATURDAY 2019

355-010 WEEK 51

Name - Raj Kapoor verma

college name - Shakuntalam Institute of Teachers education At - Kri hindi Kumhu station sasaram

Class - B-Ed , 1st year

paper - C-2 - समकालीन भारत एवं शिक्षा

unit - 2

लार्ड कर्जन की शिक्षा नीति

लार्ड कर्जन (Lord Curzon)

19वीं शताब्दी के अन्तिम समय में भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन अपने चर्मोत्कर्ष पर था। इसी समय 11 जनवरी 1898 को भारत के नए गवर्नर जनरल लार्ड कर्जन आए। लार्ड कर्जन विद्वान, कुशल प्रशासक और पाश्चात्य सभ्यता का पोषक था इनका मत था कि शिक्षा में सुधार करके ही प्रशासन को चुस्त-दुरुस्त बनाया जा सकता है। इसके लिए उसने सर्वप्रथम 1901 में शिमला शिक्षा सम्मेलन किया तथा कुछ सरकारी नीति सम्बन्धी 'सरकारी प्रस्ताव प्रकाशित कराया जिनका विवरण निम्नलिखित है।

* शिमला शिक्षा सम्मेलन - 1901 *

सम्मेलन का आयोजन —

भारत में शैक्षिक सुधारों को क्रियान्वित करने के लिए 1901 में भारत के उच्च शिक्षा और विश्वविद्यालय अधिकारियों का एक गुप्त शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया जिसे शिमला सम्मेलन या शिमला अॅकार्ड कहा जाता है। इस सम्मेलन में प्रत्येक प्रान्त के शिक्षा संचालक एवं मिशनरियों के प्रतिनिधि को ही शामिल किया गया भारतीयों को कोई स्थान नहीं दिया गया था। यह सम्मेलन

18 दिनों तक चला जिसमें 150 प्रस्ताव पारित किए गए।

शिक्षा नीति

सम्मेलन में पारित प्रस्ताव के आधार पर निम्न शिक्षा - नीति निर्धारित की थी,

① सरकार अभी शिक्षा से अलग नही होगी
② समस्त क्षेत्रों पर उनका नियंत्रण बना रहेगा।
③ आवश्यकतानुसार सरकारी विद्यालयों की स्थापना की जायेगी।
④ सरकार पहले से अधिक धन शिक्षा पर व्यय करेगी।

भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902

नियुक्ति के कारण ⇒

कर्जन का विचार था कि भारतीय वि० वि० में सुधार की आवश्यकता है 1898 में लन्दन विश्वविद्यालय का नवीनीकरण हो गया था अतः उसी के आधार पर भारतीय विश्वविद्यालय का नवीनीकरण करना जरूरी था कॉलेजों की संख्या में वृद्धि हो गई थी शिक्षकों को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त नही था कॉलेजों का शिक्षा स्तर गिर गया था इन सभी कारणों का जाँच करने के लिए

AUGUST

M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31								

31 जनवरी 1902 को आयोग की नियुक्ति की गई जिसके अध्यक्ष सर थामस रैले थे।

* जाँच के विषय * विश्वविद्यालय की दशा एवं उनकी उन्नति की जाँच करना उनके कार्य प्रणाली को सुधारने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करना एवं ऐसे उपाय सुझाना जिनसे विश्वविद्यालय का शिक्षण स्तर ऊपर उठ सके।

आयोग के सुझाव एवं संस्तुतियाँ (Suggestions and Recommendations of the Commission) :-

प्रशासन एवं संगठन –

1. सीनेट एवं सिन्डीकेट का पुनर्गठन आवश्यक है सीनेट की संख्या कम कर दी जाए और उनका अवधि 5 वर्ष तथा सिन्डीकेट के सदस्यों की सं० 5 से 15 तक रखी जाए।

2. प्रत्येक विश्वविद्यालय का अधिकार क्षेत्र निश्चित कर दिया जाए।

शिक्षण व्यवस्था

1. विश्वविद्यालय शिक्षा प्रदान करने के लिए उच्च योग्यता प्राप्त प्राध्यापकों की नियुक्ति की जाए।

2. पाठ्यक्रमों में सुधार किया जाए।

3. विश्वविद्यालय की परीक्षा प्रणाली एवं मूल्यांकन कार्य में विशेष सुधार किए जाए।

सम्बद्ध महाविद्यालय (Affiliated college)

1. महाविद्यालयों को मान्यता प्रदान करने के नियम कठोर रखी जाए।

2. मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों का नियमित निरीक्षण किया जाए।

3. महाविद्यालयों में स्नातक स्तर का शिक्षण होना चाहिए।

4. निम्न कोटि के महाविद्यालयों को बंद कर दिया जाए।

5. मैट्रीकुलेशन का स्तर उन्नत किया जाए इण्टरमीडिएट कक्षाएं समाप्त की जाए और स्नातक पाठ्यक्रम तीन वर्ष का कर दिया जाए।

18 SUNDAY

6. विश्वविद्यालय द्वारा सम्पादित परीक्षा और मूल्यांकन प्रणाली में प्रयाप्त सुधार किया जाए।

आयोग के गुण (merits of the commission)

1. आयोग ने विश्वविद्यालय में सीनेट के सदस्यों की संख्या सीमित कर दी तथा उनका कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित कर दिया जिससे विश्वविद्यालय के प्रशासन एवं संगठन में स्थिरता आ गई।

2. कॉलेजों एवं विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों एवं सुयोग्य विद्वानों को प्रतिनिधित्व देने का सुझाव दिया।

3. सिन्डीकेट के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने की संस्तुती की थी जिससे अधिक लोगों की सीनेट में प्रतिनिधित्व मिलने लगा।

4. आयोग ने विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के पाठ्यक्रमों परीक्षा प्रणाली में सुधार करने का प्रयास किया।

* दोष *

1. महाविद्यालयों को सम्बद्धता हेतु नियम कठोर कर देने से महाविद्यालयों की स्थापना में कमी आ गई।

2. आयोग ने महाविद्यालयों के नियमित निरीक्षण से विश्वविद्यालय के आन्तरिक मामलों में सरकारी हस्तक्षेप में वृद्धि हुई।

20 AUGUST 2019
TUESDAY 232-133 WEEK 34

3. आयोग ने महाविद्यालयों में शिक्षण को स्नातक स्तर तक ही सीमित रखा।

4. निम्न स्तर के महाविद्यालयों को बंद करने की संस्तुती भी दी थी।